

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना दिनांक- 21/6/18

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)/4076 परिवहन विभाग में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों/अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्यहित/प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में उल्लिखित जिला में तुरंत के प्रभाव से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	मो० जियाउल्लाह, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोपालगंज	रोहतास	जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (बक्सर का अतिरिक्त प्रभार दिनांक-01.07.2018 से प्रभावी)
2	श्री विकास कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	मधेपुरा	अरवल	जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णियाँ
3	श्री मनोज कुमार शाही, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोपालगंज	पूर्णियाँ	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना (परिवहन विभाग, मुख्यालय में प्रतिनियुक्त)
4	श्री धीरेन्द्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी	नवादा	जहानाबाद	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद (अरवल का अतिरिक्त प्रभार)
5	श्री जनार्दन कुमार	पटना	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	जिला परिवहन पदाधिकारी, गया
6	श्री राजीव कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी,	शेखपुरा	सहरसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा
7	श्री अब्दुल रज्जाक, जिला परिवहन पदाधिकारी	गोड्डा (झारखण्ड)	मधेपुरा	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा (सहरसा का अतिरिक्त प्रभार)
8	श्री रविन्द्रनाथ गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी	वैशाली	औरंगाबाद	जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज
9	श्री वीरेन्द्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	नालन्दा	शिवहर	जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद
10	श्री चितरंजन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी	मधुबनी	सीतामढ़ी	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी (शिवहर का अतिरिक्त प्रभार)

2. उपर्युक्त नव पदस्थापित पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विन्ध्य कुमार राय)

सरकार के उप सचिव

ई०-मेल ज्ञापांक-05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)/ 4076

पटना दिनांक- 21/6/18

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ (आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

le
21/6

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-1)/ 4076

पटना दिनांक- 21/6/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

le
21/6

सरकार के उप सचिव